रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940
No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2019

सा.का.नि 10(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप नियम जिन्हें केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है ; और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने वाली तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ; द

प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से जो आक्षेप और सुझाव उक्त तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। दद्

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में आक्षेप और सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारुप नियम

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 18, के उपनियम (1) में,

(क) खंड (ञ) में, शब्दों "पर्ची पर भी मुद्रित है" के स्थान पर "पर्ची पर एक स्थान पर मुद्रित" को प्रतिस्था्पित किया जाएगा।

(ख) खंड (ट) में, "के ब्यौरे" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ग) खंड (ड) में,

(i) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"मौसम की सामान्यन स्थिथति"

(ii)उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

" मृदा, जहां लागू हो"

(iii) उपखंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रति हेक्टेयर मात्रा (जिसके अंतर्गत ग्राम संक्रिय संघटक विनिर्मिति और लीटर में तनुकरण भी है)"

(घ) खंड (प) में, शब्दों "के अनुसार" के पश्चात् "प्राथमिक पैक के लिए सुरक्षित" शब्द जोड़े किए जाएंगे ;

3. उक्त नियमों के, नियम 19 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1) (i) लेबल एक, दो या तीन पैनल का होगा और अन्यथा कथित के सिवाय केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में मुद्रित होगा । आद्यान के सम्मुख की ओर लगा हुआ एक और दो पैनल का न्यूनतम आकार एक सौ दस वर्ग सेन्ट्रीमीटर से अन्यून नहीं होगा । तीन पैनल लेबल का न्यूनतम आकार एक सौ साठ वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा ।

शुद्व अव्यव/आयतन आधार पर तीन प्रकार के लेबल होगे :-

(i) अति लघु पैकस - 1 ग्राम/मि.लि से 50 ग्राम/मि.लि

(ii) लघु पैकस - 51 ग्राम/मि.लि से 250 ग्राम/मि.लि

(iii) वृहद पैकस - > 250 ग्राम/मि.लि

लेबल पर निम्नलिखित जानकारी मुद्रित होगी :-

(क) कीटनाशी का नाम (ब्रांड नाम या व्यापार चिन्ह का नाम जिसके अधीन कीटनाशी विक्रय किया जा रहा है) ब्रांड नाम साधारण नाम से बड़े साईज का नहीं होना चाहिए और अग्रभाग या पैनल क्षेत्र के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । ब्रांड नाम बड़े अक्षरों में हो सकेगा ।

(ख) साधारण नाम ;

(ग) "उपयोग से पहले पढ़े" अनुदेश बड़े अक्षरों में तथा जहां विक्रय किया जाना प्रस्तावित है वहां कि सभी भाषाओं और प्रमुख स्थान में लेबल के शीर्ष पर लिखा जाएगा

(घ) फसल की सूची और नाशकजीव का व्यापक प्रवर्ग जिस पर उपयोग के लिए वह रजिस्ट्रीकृत है

(ङ) रसायन का प्रयोजन लेबल पर उल्लिखित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए

(i) कृषि उपयोग के लिए

(ii) नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए

(iii) घरेलू उपयोग के लिए

(iv) लोक स्वास्थ्य के लिए

(च) कीटनाशी के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् संभावित पुनःप्रयोग की अवधि;

(i) लाल एवं पीला त्रिकोणीय कीटनाशी (अत्यं ात जहरीला एवं बेहद जहरीला) : 48 घंटे

(ii) नीला एवं हरा त्रिकोणीय कीटनाशी (मध्यम एवं कम जहरीला) : 24 घंटे

(iii) जैव-कीटनाशी एवं हर्बल: 12 घंटे

(iv) बीज-उपचार के लिए उपयोग किए गए कीटनाशी के संबंध में पुन: प्रयोग की अवधी अपेक्षित नहीं है।

(छ) सुरक्षा पूर्व सावधानियां

(ज) सूत्र की संरचना

(झ) विषाक्तीकरण के लक्षण और प्राथमिक चिकित्साव

(ञ) प्रतिविष कथन

(ट) विनिर्माता का नाम

(ठ) आयातकर्ता और पुनःपैककर्ता

(ड) विपणनकर्ता

(ढ) कीटनाशक की पंजीकरण संख्या

(ण) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या

(त) बैच संख्या

(थ) विनिर्माण की तारीख

(द) अवसान की तारीख

(ध) कर सहित अधिकतम फुटकर कीमत (अ.फु.की.)

(न) आयतन की शुद्ध मात्रा (मिट्रिक प्रणाली में)

(प) विषाक्तता वर्गीकरण के अनुसार सावधानियां संकेत और सावधानियां शब्द

(फ) चेतावनी

(i) लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न फसल और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नहीं।

(ii) फसल-कटाई के उपरांत अनुप्रयोग हेतु उपयोगी नहीं।

(iii) पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ।

(iv) पोली हाउस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा –पत्रक पर देखें।

(v) पंजीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य चेतावनी या सचेतक कथन।

(ब) कंपनी का नाम, बारकोड, होलोग्राम, क्यू आर कोड, ई-मेल आई डी और ग्राहक देखरेख संख्या

पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् लेबल पर अतिरिक्ति सूचना जोड़ी जा सकेगी।

न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्र लिपि (तीसरी अनुसूची में चित्र 1 में निर्दिष्ट) होगी । बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ी चित्र लिपि पैनल के दाहिनी ओर नीचे की ओर होगी । वह लेबल में केवल एक बार मुद्रित होगी। अति लघु और लघु लेबलों के लिए प्राथमिक पैक पर चित्रलिपि केवल द्वितीयक पैक पर मुद्रित किया जाएगा।

1(ii) लेबल पर अंग्रेजी में सात पाईंट (7) में अन्यून फोंट आकार ओर हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं में सात पाईंट (7) के फोंट आकार का उपयोग करते हुए स्पष्ट रुप से मुद्रित होगी ।

(iii) (क) यदि आद्यान या पैकेट या थैली छोटे, लघु अथवा अतिलघु है, उत्पाद किसी द्वितीयक पैक में पैक होगा जिस पर नियम 19 के उपनियम 1 में यथा अंतर्विष्ट विहित आकार में लेबल मुद्रित होगा ।

(iii)(ख) विद्यमान रजिस्ट्रीकरणों के बड़े पैकस को द्वितीय पैक में उत्पाद की पैंकिग के लिए भी चुना जा सकेगा जिस पर नियम 19 के उपनियम 1 में यथा अंतर्विष्ट विहित आकार में लेबल मुद्रित होगा ।

1(iv)(क) लघु थैली, पैकेट या आद्यानो (51 और 250 ग्राम/ मि.लि. के बीच के आकार के लिए) का उपयोग किए जाने की दशा में उन्हें आगे द्वितीय पैक में पैक किया जाएगा। निम्नलिखित ब्यौरे प्राथमिक पैक पर अंग्रेजी और हिंदी में अमिट स्याही द्वारा मुद्रित किए जाएंगे और फोंट आकार पाइंट (5) से कम नहीं होगा । साथ ही साथ द्वितीयक पैक पर हिंदी और अंग्रेजी में फोंट आकार सात पाईंट से कम नहीं (-) होगा ।

(क) ब्रांड नाम

(ख) साधारण नाम

(ग) विनिर्माता का नाम और पता

(घ) आयातित और पुनःपैकिंग (यदि लागू हो)

(ङ) प्रतिविष

(च) पंजीकरण संख्या

(छ) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या

(ज) बैच संख्या

(झ) विनिर्माण की तारीख

(ञ) अवसान की तारीख

(ट) अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू. जिनके अन्तर्गत कर भी है)

(ठ) शुद्द अव्यव

(ड) ग्राहक सम्पर्क ब्यौरे और

(ढ) विषाक्तता के वर्गीकरण के अनुसार सावधानियां संकेत और सावधानियां शब्द ।

(iv)(ख) अति लघु थैली, पैकेट या आद्यानो (1 और 50 ग्राम/मि.लि. के बीच आकार के लिए) का उपयोग किए जाने की दशा में उन्हे आगे दिव्तीय पैक में पैक किया जाएगा । निम्नलिखित ब्यौरे अन्तरतम पैक पर केवल अग्रेंजी में अमिट स्याही द्वारा मुद्रित किए जाएंगे और फोंट आकार पांच पाइंट (5) से कम नहीं होगा । साथ ही साथ दिव्तीय पैक पर हिंदी और अंग्रेजी में फोंट आकार सात पाइंट (7) से कम नहीं होगा ।

(क) ब्रांड नाम

(ख) साधारण नाम

(ग) विनिर्माता का नाम

(घ) आयातीत और पुनः पैकिंग (यदि लागू है)

(ङ) प्रतिविष

(च) रजिस्ट्रीकरण संख्या

(छ) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या

(ज) बैच संख्या

(झ) विनिर्माण की तारीख

(ञ) अवसान की तारीख

(ट) शुद्ध अव्यव

दिव्तीयक पैक पर अतिरिक्त सूचना मुद्रित होनी चाहिए जैसे

(ठ) अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू. जिनके अन्तर्गत कर भी है)

(ड) ग्राहक सम्पर्क ब्यौरे और

(ढ.) विषाक्तता के वर्गीकरण के अनुसार सावधानियां संकेत और सावधानियां शब्द ।

1(v) “तीसरी अनुसूची” में दिए गए चित्र II,III, IV और V के माडल लेबल (दो पैनल और तीन पैनल) के अनुसार होगी ।

(4) उक्त नियमों में, तीसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"तीसरी अनुसूची"

(नियम 19 देखें)

चित्र I: सुरक्षा चित्र लिपि

संक्षारक	ज्वलनशील ठोस	ज्वलनशील (जल क्रियाशील)	प्रदाहजनक
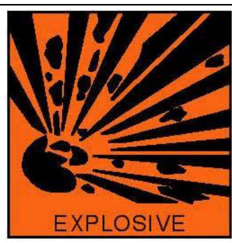			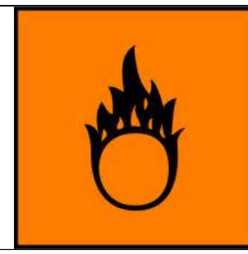
विस्फोटक	ज्वलनशील द्रव्य	स्वत: ज्वलनशील	आक्सीकरण पदार्थ

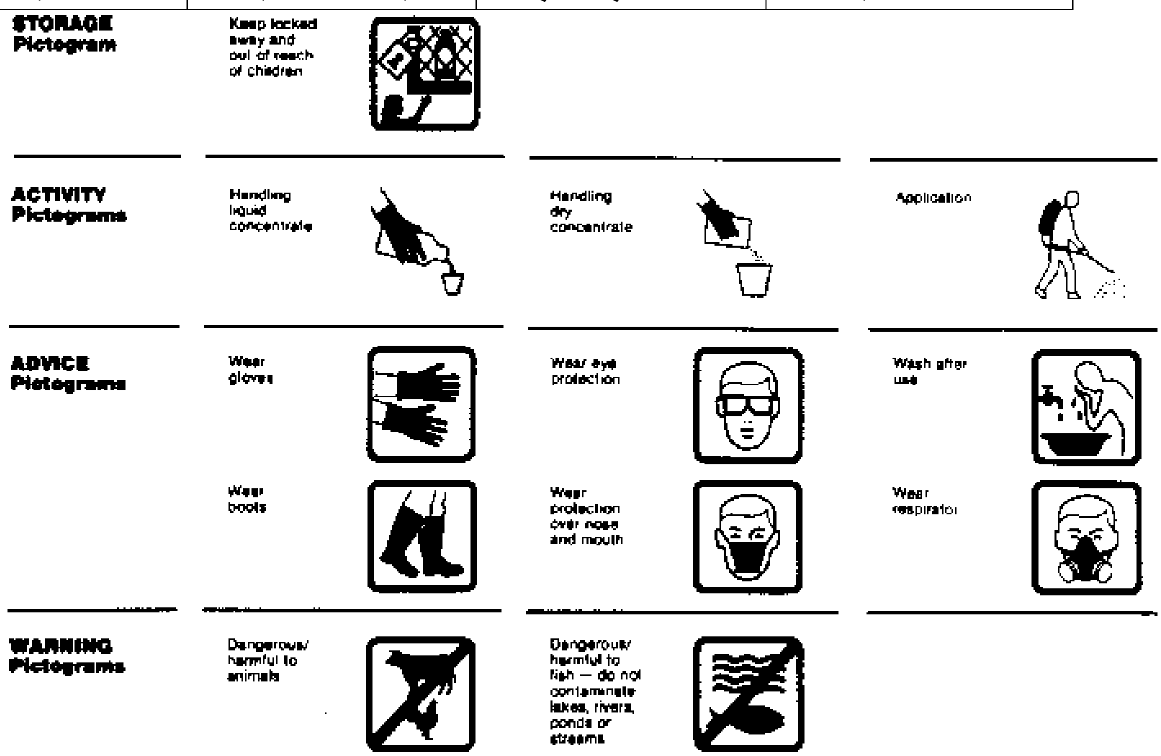

भंडारण, क्रियाकलाप, सलाह और चेतावनी

चित्र II: एक पैनल के लिए माडल लेबल (1 से 50 ग्राम/मि.ली. पैक लेबलो के लिए लागु)

ब्राड नाम:

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह:

साधारण नाम:

प्रतिविष::

विनिर्माता का नाम:

द्वारा बेचा जाना:

द्वारा आयतित और दुबारा पैक किया गया:

रजिस्ट्रेशन सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

शुद्ध अव्यव की मात्रा:

विधिक उत्तरदायित्व:

चित्र III: एक पैनल के लिए माडल लेबल

(1 से 50 ग्राम/मि.ली.दिव्तीयक पैक और 51 से 250 ग्राम/मि.ली.लेबल तथा दिवतीयक पैक के लिए लागू)

ब्राड नाम:

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह:

साधारण नाम:

प्रतिविष:

विनिर्माता का नाम:

द्वारा बेचा जाना:

द्वारा आयतित और दुबारा पैक किया गया:

रजिस्ट्रेशन सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

अ.खु.मू. जिसके अन्तर्गत कर भी है:

शुद्ध अव्यव की मात्रा:

ग्राहक सम्पर्क:

विधिक उत्तरदायित्व:

चित्र लिपि

चित्र IV: दो पैनलों के लिए माडल लेबल

(250 ग्राम/मि.ली.लेबलों और द्वितीयक पैक के लिए लागु)

कृषि उपयोग के लिए उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े बच्चों की पहुंच से दूर रखें गर्म और खुली आग से दूर रखें कम्पनी का नाम और बार कोड; होलोग्राम/क्यू आर कोड: ग्राहक सम्पर्क संख्या: विधिक उत्तदायित्व रजिस्ट्रीकरण सं.: विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या: बैच संख्या: विनिर्माण की तारीख: अवसान की तारीख: अ.खु.मू. जिसके अन्तर्गत कर भी हैं: शुद्ध अव्यव मात्रा : चित्र लिपि	ब्रांड नाम : रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह: साधारण नाम: फसलें और नाशकजीव समूह: प्रयोजन: पुनःप्रविष्टि: रसायनिक संरचना: सुरक्षा पूर्वावधानियां :छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ो और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो ले। स्प्रे के धुए को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिए और न खाएं या चबाएं : विषाक्तीकरण के लक्षण प्राथमिक उपचार: प्रतिविष: चेतावनी: उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अव्यव विनिर्माता का नाम और पता द्वारा बेचा गया : द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया गया :

चित्र V: तीन पैनलों के लिए माडल लेबल

(250 ग्राम/मि.ली.लेबलों और मोनाक्रारटून्स के लिए लागु)

कृषि उपयोग के लिए उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें	ब्रांड नाम: रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह: साधारण नाम:	फसलें और नाशक जीव: समूह: प्रयोजन:

उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें कम्पनी का नाम और बार कोड: होलोग्राम /क्यू आर कोड: ई-मेल: ग्राहक सम्पर्क संख्या: विधिक उत्तरदायित्व	बच्चों की पहुंच से दूर रखें यदि निगल लिया जाए या विषाक्तीकरण के लक्षण प्रकट हो, अव्यवहित चिकित्सक को बुलायें । विनिर्माता का नाम और पता : द्वारा बेचा गया: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया गया: रजिस्ट्रीकरण संख्या: विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या: बैच संख्या: विनिर्माण की तारीख: अवसान की तारीख: अ.खु मू. जिसके अन्तर्गत कर भी है : शुद्ध अव्यय मात्रा: चित्र लिपि	पुनःप्रविष्टि: रसायनिक संरचना: सुरक्षा पूर्वावधानिया: छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें । स्प्रे के धुएं को श्वास में न ले । छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ ना पिए, खाएं या चबाएं । विषाक्तीकरण के लक्षण: प्राथमिक उपचार: प्रतिविष: चेतावनी: उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अव्यय:

(5) उक्तह नियमों में, नियम 19 के उप-नियम (7) में, निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"(7) लेबल को कम से कम अंग्रेजी व हिन्दी, भाषा में मुद्रित किया जाएगा, जब तक अन्य(था, न बताया जाए। कीटनाशी वाले पैकेज के साथ संलग्नद लीफलेट हिन्दी, अंग्रेजी एवं उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा जहां, पैकेज का भंडारण, विक्रय तथा वितरण किया जाना है, में मुद्रित होगा।"

[फा. सं.के -13035 /21/2013-पी.पी.-I (वॉल्यूम II)]

बी. राजेन्दर, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा0का0नि0 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे—

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवबंर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्तव, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 586(अ), तारीख 12 अगस्ता, 1999,
8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006,

9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवबंर, 2006,

10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2006,

11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,

12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,

13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014,

14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015,

15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016,

16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 12 अगस्तर, 2016,

17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 27 जनवरी, 2017,

18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 1 फरवरी, 2017,

19. सा.का.नि. 1229(अ), तारीख 4 अक्तूरबर, 2017 ,

20. सा.का.नि. 1588(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2017,

21. सा.का.नि. 399(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018 और

22. सा.का.नि. 1204(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2018।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2019

G.S.R. 10(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short Title and Commencement. - (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules) in rule 18, in sub rule (l),

(a) in clause (j) for the words "printed on the leaflet", the words " printed on one place on the leaflet" shall be substituted.

(b) in clause (k), the word "detailed" shall be omitted.

(c) in clause (m),

(i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:- "whether conditions in general"

(ii) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:- "soil ,wherever applicable"

(iii) for sub-clause (vii), the following sub-clause shall be substituted, namely:- " dosage per hectare (include gram active ingredient formulation and dilution in litres)"

(d) in clause (u), the words "secured to primary pack or" shall be inserted after the word "shall be";

3. In the said rules, in rule 19, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (1) (i) The label shall have either one, two or three panels and shall be printed only in English and Hindi languages unless stated otherwise. The minimum size of the one and the two panels label to be affixed on the face of the container shall be not less than 110 square centimetres. The minimum size of the three panel label shall not be less than 160 square centimetres.

There shall be three types of labels depending on the net content/volume:

(i) Ultra small packs-1g/ml to 50 g/ml

(ii) Small packs-51 g/ml to 250 g/ml

(iii) Big packs->250 g/ml

The following information shall be printed on the label:-

(a) name of insecticide (brand name or trade name under which the insecticide is sold). The brand name should not be of bigger size than the common name and it should occupy not more than 20% of area of the face or panel. The brand name could be in BOLD

(b) common name;

(c) instructions to "Read Leaflet Before Use"; in bold and in all languages where it is proposed for sale and to be placed on the top of the label in a prominent place

(d) list of crops and broad category of pests on which it is registered to apply;

(e) purpose of the chemical should be mentioned on the label, For example:-

(i) For Agricultural Use

(ii) For Pest Control Operators

(iii) For House Hold Use

(iv) For Public Health"

(f) optimal re-entry period after each application of insecticide;

(i) Red and Yellow triangle insecticides (extremely toxic and highly toxic): 48 hrs.

(ii) Blue and green triangle insecticides (Moderately toxic and slightly toxic): 24 hrs.

(iii) Bio-insecticides and Herbal products: 12 hrs.

(iv) Re-entry period is not required with respect to insecticides used for seed treatment.

(g) safety precautions

(h) composition of the formulation

(i) Symptoms of poisoning and first aid

(j) antidote statement

(k) name of the manufacturer

(l) imported and re-packed by

(m) marketed by

(n) registration number of the insecticide

(o) manufacturing license number

(p) batch number

(q) manufacturing date

(r) expiry date

(s) Maximum Retail Price (M.R.P.) Inclusive of taxes

(t) net content of volume (in metric system)

(u) cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words

(v) Warning

(i) Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets

(ii) Not to be used for Post-Harvest Applications.

(iii) Destroy the container after use as directed on leaflet.

(iv) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer to the leaflet.

(v) Any other warning or cautionary statement as approved by Registration Committee

(w). Company's name, barcode, hologram, QR Code, e-mail id and customer care numbers.

Additional information can be added to the Label after approval by the Registration Committee.

All relevant safety pictograms (refer picture I in the THIRD SCHEDULE) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel. They shall be printed only once on the label. For ultra small and small labels the pictograms on the primary pack shall be printed only on the secondary pack

1(ii) The label shall be printed legibly using font size of not less than seven points (7) in English and seven points (7) and in Hindi unless stated otherwise.

1(iii) (a) If the container or packet or sachet is ultra small or small, the product should be packed in a secondary pack on which label of prescribed size as per contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19 shall be printed.

(iii)(b) Bigger packs of existing registrations may also opt for packing the product in a secondary pack on which label of prescribed size as per contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19 shall be printed."

1(iv) (a) In case where small sachets, packets or containers (for sizes between 51 and 250 g/ml) are used shall be further packed in a secondary pack. The following details shall be printed with indelible ink on primary pack in English and Hindi and in the font size of not less than five points (5) as well as on the secondary pack in English and Hindi and in font size of not less than seven points (7) :-

(a) brand name

(b) common name

(c) manufacturers name and address

(d) imported and re-packed by (if applicable)

(e) antidote

(f) registration number

(g) manufacturer's license number

(h) batch number

(i) manufacturing date

(j) expiry date

(k) maximum retail price (MRP incl. of taxes, in rupees)

(l) net content

(m) customer care details and

(n) cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words

(iv) (b) In case where ultra small sachets, packets or containers (for sizes between 1 and 50 g/ml) are used shall be further packed in a secondary pack. The following details shall be printed with indelible ink on the inner most pack in English only and in the font size of not less than five points (5) as well as on the secondary pack in English and Hindi and in font size of not less than seven points (7) :-

(a) brand name;

(b) common name;

(c) manufacturers name

(d) imported and re-packed by (if applicable);

(e) antidote

(f) registration number;

(g) manufacturer's license number;

(h) batch number;

(i) manufacturing date;

(j) expiry date;

(k) net content ;

The secondary pack will have additional information printed like

(l) maximum retail price (MRP incl. of taxes, in rupees)

(m) customer care details; and

(n) Cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words

1(v) The model labels (two panel and three panel) shall be as per the pictures II, III, IV & V given in the " THIRD SCHEDULE '' .

(4) In the said rules, for the "Third Schedule" following shall be substituted namely:-

"THIRD SCHEDULE

(see rule 19)

PICTURE I: SAFETY PICTOGRAMS

CORROSIVE	**FLAMMABLE SOLID**	**FLMMABLE (WATER REACTIVE)**	**IRRITANT**
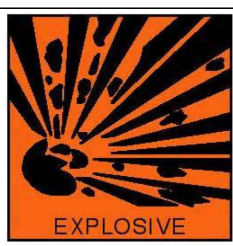			

EXPLOSIVE	FLAMMABLE LIQUID	SPONTANEOUS COMBUSTIBLE	OXIDIZING SUBSTANCE

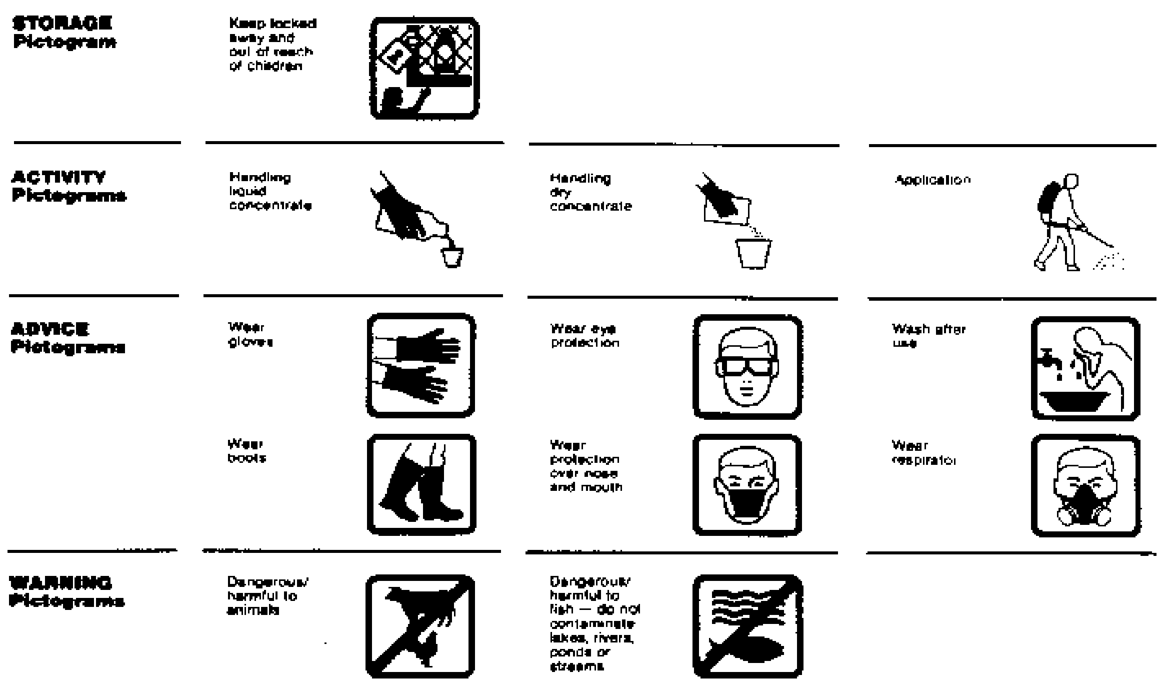

STORAGE, ACTIVITY, ADVICE AND WARNING

PICTURE II: MODEL LABEL FOR ONE PANEL (Applicable for 1 to 50 g/ml pack labels)

Brand Name®
Registered Trade Mark:
Read leaflet before use (at least in English and Hindi)

Common name:
Antidote:

Name of the manufacturer:
Marketed by:
Imported and repacked by :

Registration No:
Mfg Lic. No:
Batch number:
Mfg. Date
Expiry date:
Net content volume:

Legal responsibility.

PICTURE III : MODEL LABEL FOR ONE PANEL
(Applicable for 1 to 50 g/ml secondary pack and 51 to 250 g/ml labels & secondary pack)

Brand Name®
Registered Trade Mark:
Common name:
Antidote:

Name of the manufacturer:
Marketed by:
Imported and repacked by :

Registration No:
Mfg Lic. No:
Batch number:
Mfg. Date
Expiry date:
MRP incl. of taxes. Rs.
Net content volume:

Customer Care:

Legal responsibility.

PICTOGRAMS

PICTURE IV: MODEL LABEL FOR TWO PANELS
(Applicable for > 250 g/ml labels & secondary pack)

For Agricultural Use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Keep out of the reach of children Keep away from heat & open flame Company's name and barcode: Hologram/QR Code E mail: Customer Care number: Legal responsibility Registration No. Mfg. Lic. No. Batch No. Mfg. Date Expiry Date: MRP incl. of taxes. Rs. Net content volume: PICTOGRAMS	Brand Name® Registered Trademark: Common name: Crops and Pest Groups Purpose : Re-entry: Chemical Composition: Safety Precautions: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application. Symptoms of Poisoning: First Aid: Antidote: Warning: Similar Content as above in Hindi Name and address of Manufacturer: Marketed by: Imported & Repacked by:

PICTURE V: MODEL LABEL FOR THREE PANELS
(Applicable for > 250 g/ml labels & monocartons)

For Agricultural Use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Read Leaflet before use Company's name and barcode: Hologram/QR Code E mail: Customer Care number: Legal responsibility	Brand Name® Registered Trademark: Common name: Keep out of the reach of children If swallowed or symptoms of poisoning occur, call physician immediately Name and address of Manufacturer: Marketed by: Imported & Repacked by: Registration No. Mfg. Lic. No. Batch No. Mfg. Date Expiry Date: MRP incl. of taxes. Rs. Net content volume: PICTOGRAMS	Crops and Pest Groups Purpose : Re-entry: Chemical Composition: Safety Precautions: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application. Symptoms of Poisoning: First Aid: Antidote: Warning: Similar Content as above in Hindi

(5) In the said rules, in rule 19, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) The label shall be printed at least in English and Hindi languages unless stated otherwise. The leaflets attached to the package containing insecticides shall be printed in Hindi, English and in regional languages in use in the areas where the said packages are likely to be stocked, sold or distributed."

[F. No.13035/21/2013-PP. I (Vol. II)]

B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (i)*VIDE* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *Vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E),dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017
19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018 and
22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.08 19:13:09 +05'30'